

राजकीय एवं राज्यपोषित' पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के

स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र

1.	वर्तमान अध्ययनरत संस्थान का नाम	
2.	छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में)	
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
3.	पिता का नाम	
4.	क्या आपका प्रवेश स्व:वित्त पोषित सीट पर हुआ है ? हाँ/नहीं अंकित करें।	
5.	स्थायी पता	
6.	छात्र/छात्रा का वर्ग	
7.	कक्षा एवं शाखा	कक्षा.....शाखा.....
8.	नामांकन संख्या (SPN)/.....
9.	डिप्लोमा की परीक्षा का परिणाम	कुल प्राप्तांक प्रतिशत
10.	संस्थान का नाम जिसमें स्थानान्तरण चाहता/चाहती है।	(वर्तमान संस्थान)
		(स्थानान्तरण हेतु इच्छित संस्थान)
11.	स्थानान्तरण चाहने का कारण	

--: छात्र / छात्रा द्वारा घोषणा :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त स्थानान्तरण हेतु मैंने अपने पिता/अभिभावक से अनुमति प्राप्त कर ली है एवं स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर मैं उसकी अनुपालना करूंगा/करूंगी। **मेरे द्वारा इस शैक्षणिक सत्र में शाखा परिवर्तन नहीं करवाया गया है।**

दिनांक

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रार्थना पत्र की जांच कर ली है। छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया विवरण सही है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

प्रधानाचार्य

नोट :

1. विद्यार्थी अपना नाम/नामांकन / SPN तथा शाखा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित करें। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. निदेशालय द्वारा छात्र/छात्रा का स्थानान्तरण आदेश एक बार जारी हो जाने के पश्चात उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।
3. नियमानुसार एक ही सत्र में ब्रांच परिवर्तन करवाये जाने पर स्थानान्तरण नहीं होंगे।
4. विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में संचालित सिविल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम राज्य पोषित है।
5. स्व:वित्त पोषित पाठ्यक्रमों एवं निजी संस्थाओं में स्थानान्तरण नहीं होगा।